

धन का क्षति/रूपान्तरण

29/8/24

पत्रावली पेश हुई। प्राथीक्षण उपस्थित नहीं।  
प्राथीक्षण का मूल वाद अफा हाजरी में (वारीज  
हो चुका है जिसके अभाव में अफा द्वारा  
212RTA चलने योग्य नहीं होने से प्राथीना  
पत्र (वारीज किया जाता है।

दिनांक  
29/8/24

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा